गरीबों तक कल्याणकारी योजनाएं पहुंचना सभी की जिम्मेदारी : मोदी

कहा, काशी का चौतरफा विकास और कायाकल्प हो रहा है

नई दिल्ली, 28 अगस्त (भाषा)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को भाजपा कार्यकर्ताओं से कहा कि समाज के गरीब और सामान्य जन तक सरकार की लोक-कल्याणकारी योजनाएं सही तरीके से पहुंचाना सभी की जिम्मेदारी है और केंद्र सरकार विकास की दौड़ में पीछे रह गए समाज के अंतिम व्यक्ति को विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए कृतसंकल्प है।

वाराणसी के भाजपा कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों को नरेंद्र मोदी ऐप के माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जब हमारे कार्यकर्ता समाज सेवा से जुड़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं व कार्यक्रम आम जनता तक पहुंचती हैं और जनता और सरकार के बीच की कड़ी मजबूत होती है, साथ ही भरोसा भी दृढ़ होता है। उन्होंने कहा कि यह हमारी जिम्मेदारी है कि समाज के गरीब और सामान्य जन तक सरकार की लोक-कल्याणकारी योजनाएं सही तरीके से लाभार्थियों तक पहुंचे। केंद्र की भाजपा सरकार विकास की दौड़ में पीछे रह गए समाज के अंतिम व्यक्ति को विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए कृतसंकल्प है। उन्होंने काशी का विकास तेज गति से होने का जिक्र करते हुए अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के भाजपा कार्यकर्ताओं की लोकतांत्रिक मूल्यों और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए अथक परिश्रम की भावना की सराहना की।

भाजपा कार्यालय की विज्ञप्ति के अनुसार, प्रधानमंत्री ने कहा कि काशी का चहुंमुखी विकास और कायाकल्प हो रहा है, यह हमारी जिम्मेदारी है कि समाज के गरीब और सामान्य जन तक सरकार की लोक-कल्याणकारी योजनाएं सही तरीके से लाभार्थियों तक पहुंच पाएं, उन्होंने कहा कि पिछले चार सालों में लगभग 5 करोड़ लोग गरीबी से मुक्त हो गए हैं। 'उड़ान' योजना से आम नागरिक भी अब वायुयान से सफर कर सकते हैं। आजादी के 67 सालों में जितने शौचालय देश में बने, उससे अधिक भाजपा सरकार के चार वर्षों में बने हैं, उन्होंने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वच्छ भारत अभियान से देश में तीन लाख बच्चों की जिंदगी सलामत हुई है, हमारा देश स्केल और स्पीड से आगे बढ़ रहा है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि 21 जनवरी से 23 जनवरी के बीच प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर दुनिया भर के भारतवंशी काशी आएंगे, हमें उन्हें काशी की आध्यात्मिक व भारतीय संस्कार की संस्कृति का दर्शन कराना है। मोदी ने काशी के हर घर, परिवार, गली-मोहल्ला अतिथियों के आतिथ्य सत्कार के नए-नए रंगों व आयामों के साथ तैयार होने के संबंध में कुछ सुझाव भी दिया। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हरेक काशीवासी वाराणसी की वैश्विक पहचान के लिए अपना योगदान दें, प्रधानमंत्री ने काशी में 15 सितंबर से 2 अक्तूबर तक चलने वाले 'स्वच्छता ही सेवा' अभियान को सफल बनाने की कार्यकर्ताओं से अपील की।

बड़ी संख्या में आतंकी घुसपैठ की फिराक में : पुलिस प्रमुख

विजयपुर (जम्मू कश्मीर), 28 अगस्त (भाषा)।

जम्मू कश्मीर पुलिस के प्रमुख एसपी वैद्य ने मंगलवार को कहा कि नियंत्रण रेखा व अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास बड़ी संख्या में मौजूद हथियारबंद आतंकवादी राज्य में घुसपैठ की फिराक में हैं।पुलिस महानिदेशक ने कहा कि सेना व सीमा सुरक्षा बल के कर्मी सीमाओं पर सख्त निगरानी कर रहे हैं और उन्हें घुसपैठ को नाकाम करने में बड़े पैमाने पर सफलता भी मिली है। वैद्य ने कहा कि पाकिस्तान दुष्प्रचार का सहारा लेकर युवाओं को आतंकी गतिविधियों के लिए प्रेरित करने को सोशल मीडिया पर बड़ा अभियान चला रहा है। लेकिन पुलिस ने इससे निपटने के लिए प्रभावी उपाय किए हैं और उसने ऐसे कई अकाउंट बंद कराए हैं।यहां पुलिस प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थान में 215 रंगरुटों के प्रमाणन-सह-पासिंग आउट परेड के बाद मीडिया कर्मियों से बात करते हुए वैद्य ने कहा कि खुफिया रिपोर्ट में यह सुझाव दिया गया है कि नियंत्रण रेखा और अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास लॉन्चिंग पैड पर बड़ी तादाद में सशस्त्र आतंकवादी मौजूद हैं और वे राज्य में घुसपैठ की फिराक में हैं।

उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि जानने का मतदाताओं को अधिकार : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, 28 अगस्त (भाषा)।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि मतदाताओं को उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि जानने का अधिकार है और चुनाव आयोग से राजनीतिक दलों को निर्देश देकर यह सुनिश्चित करने के लिए कहा जा सकता है कि आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे लोग उनके चुनाव चिन्हों के जरिए उनके टिकट पर चुनाव नहीं लड़ें। इन टिप्पणियों के बाद प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाले पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने कई याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा। निर्वाचन आयोग और केंद्र सरकार सहित पक्षों ने दलीलें पूरी कीं।

शीर्ष अदालत इस सवाल पर गौर कर रहा है कि आपराधिक सुनवाई का सामना कर रहे किसी जनप्रतिनिधि को मामले में आरोप तय होने के चरण में अयोग्य ठहराया जा सकता है या नहीं। फिलहाल, जनप्रतिनिधियों पर दोषसिद्धि के समय से पाबंदी लगती है। पीठ ने उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि जानने के मतदाताओं के अधिकार संबंधी टिप्पणियां ऐसे समय कीं जब केंद्र ने कड़ा विरोध जताते हुए कहा कि न्यायपालिका को पूर्व शर्त लगाकर विधायिका के क्षेत्र में प्रवेश नहीं करना चाहिए जिसका चुनावों में उम्मीदवारों की सहभागिता के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

केंद्र की ओर से पेश अटार्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने पीठ से कहा, 'न्यायाधीशों की मंशा हास्यास्पद है। लेकिन सवाल यह है कि क्या अदालत ऐसा कर सकती है। जवाब है 'नहीं'।' वह पीठ के इस सुझाव पर जवाब दे रहे थे कि आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे लोग चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र होंगे लेकिन वे पार्टी चुनाव चिन्ह के जरिए पार्टी टिकट पर ऐसा नहीं कर सकते। संविधान पीठ के अन्य सदस्यों में न्यायमूर्ति आर एफ नारिमन, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर, न्यायमूर्ति धनंजय वाई चन्द्रचूड़ और न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा शामिल हैं।

तनाव के बीच कांग्रेस-जद (सेकु) की 31 को बैठक

बंगलुरु, 28 अगस्त (भाषा)।

सिद्धरमैया को फिर से मुख्यमंत्री बनाने के कांग्रेसी नेताओं के एक धड़े की मांग के बीच, कांग्रेस-जद (सेकु) समन्वय समिति की बैठक यहां 31 अगस्त को आयोजित होगी।

मई में हुए विधानसभा चुनावों में त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति बनने पर गठबंधन सरकार के गठन के बाद से समन्वय समिति की यह तीसरी बैठक होगी।

जद (सेकु) महासचिव दानिश अली ने कहा, 'समन्वय समिति की अगली बैठक 31 अगस्त को होगी।' समिति की बैठक हंगामेदार होने की संभावना है क्योंकि गठबंधन सहयोगियों के बीच सरकार के गठन के कुछ महीने बाद से ही गतिरोध दिखना शुरू हो गया है। कांग्रेस के एक सूत्र ने कहा कि समिति गठबंधन सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम, इसके क्रियान्वयन पर एक पुस्तिका लाने पर विचार करेगी और इन परियोजनाओं पर विचार विमर्श किया जाएगा।

पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेसी नेता सिद्धरमैया के इस कथित बयान को लेकर हाल की घटनाओं में भी चर्चा हो सकती है जिसमें उन्होंने कुछ दिन पहले कहा था कि वह फिर से मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं।

सिद्धरमैया के बयान पर बवाल खड़ा होने के बाद उन्होंने स्पष्टीकरण दिया था कि वह अभी नहीं बल्कि पांच साल बाद पद संभालना चाहते हैं।

राहुल गांधी ने केरल में राहत शिविरों का किया दौरा

अलपुझा (केरल), 28 अगस्त (भाषा)।

बाढ़ प्रभावित केरल की यात्रा पर गए राहुल गांधी ने मंगलवार को उन मछुआरों को सलाम किया, जिन्होंने भीषण जलसंकट में फंसे लोगों को बचाने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने दावा किया कि देश में मछुआरा समुदाय किसानों के समान संकट का सामना कर रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस केंद्र में सत्ता में आती है तो वह अलग से मत्स्य मंत्रालय बनाएगी।

दो दिवसीय यात्रा पर केरल पहुंचे राहुल गांधी ने राहत शिविरों में लोगों से बात की। केरल में 100 साल में यह सबसे भीषण आपदा है, जिसके कारण राज्य में भारी नुकसान पहुंचा है और कई लोग मारे गए हैं। बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित अलपुझा में कांग्रेस द्वारा आयोजित स्वागत कार्यक्रम में मछुआरा समुदाय को सम्मानित करते हुए राहुल ने कहा कि तटरक्षक को बचाव अभियानों के लिए मछुआरों की सेवाएं लेनी चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि अपनी तमाम दुश्वारियों, कठिनाइयों के बावजूद जब भी केरल को आपकी जरूरत पड़ी आप हमेशा मदद के लिए खड़े हुए और अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। केरल की जनता के प्रति आपकी प्रतिबद्धताओं को मैं सलाम करता हूं। उन्होंने कहा कि हालिया बाढ़ में तीन हजार मछुआरों ने 70,000 लोगों की जान बचाई।

राहुल ने कहा कि देश में मछुआरे वैसे ही संकट का सामना कर रहा है, जैसा कि किसान झेल रहे हैं। कांग्रेस के केंद्र में सत्ता में आते ही हम लोग मत्स्य मंत्रालय की स्थापना करने वाले हैं। ईश्वर के इस देश की मानवशक्ति का अपना मंत्रालय होगा। ताकि आपकी समस्याओं पर ध्यान दिया जाए और आपकी आवाज राष्ट्रीय स्तर पर सुनी जा सके। उन्होंने कहा कि किसानों के साथ मछुआरों ने भी देश के निर्माण में मदद की है। कई जिंदगियों को बचाने वाले इन मछुआरों का सम्मान करना मेरे लिए गर्व की बात है।

कार्पोरेशन बैंक कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)

[Rule - 8(1)]

आंचलिक कार्यालय, आर.पी.जी. टॉवर, 495/1, मंगल पांडे नगर, मेरठ-250001

यद्यपि वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण व पुर्नसंरचना तथा प्रतिभूति ब्याज का प्रभावीकरण अधिनियम 2002 के अन्तर्गत तथा प्रतिभूति ब्याज (प्रभावीकरण) नियम 2002 के नियम 8 के साथ पठित धारा 13(02) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने विभिन्न बकायेदार ऋणियों एवं गारन्टरों को नोटिस में वर्णित राशि, नोटिस प्राप्ति के 60 (साठ) दिनों के अन्दर अदा करने हेतु मांग नोटिस जारी की थी। ऋणियों एवं गारन्टरों के द्वारा इस राशि की अदायगी में विफल रहने पर एतद्द्वारा आम जनता को एवं ऋणी व गारन्टर को विशेष रूप से सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने नीचे वर्णित सम्पत्तियों का आधिपत्य उपरोक्त अधिनियम की धारा 13 (4) एवं नियमों के उपनियम 8 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी द्वारा निम्नलिखित सम्पत्तियों का कब्जा उनके सम्मुख अंकित तिथि को कर लिया है। एतद्द्वारा ऋणियों / गारन्टरों को विशेषत: और जन साधारण को सामान्यत: सूचित किया जाता है कि उक्त सम्पत्तियों का अधिग्रहण कर लिया गया है अत: इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई सौदा / व्यवहार बैंक के अतिरिक्त अन्य किसी से न करें एवं ऐसा कोई भी सौदा / व्यवहार कार्पोरेशन बैंक को देय राशि व सम्बन्धित ब्याज हेतु जैसा कि नीचे खाते के सम्मुख उल्लेखित किया गया है के अध्याधीन होगा।

शाखा का नाम	ऋणी और जमानती के नाम	बंधक रखी गयी सम्पत्ति का विवरण	कब्जा नोटिस की तारीख	मांग नोटिस की तारीख	मांग नोटिस के अनुसार बकाया राशि
कार्पोरेशन बैंक, बागपत शाखा, सेठ आशा राम जैन मार्केट, दिल्ली रोड, बागपत-250609 (उ.प्र.)	मैसर्स अक्शा एन्टरप्राईजेज प्रोपराईटर साहिद खान निवासी निकट कार्पोरेशन बैंक, दिल्ली रोड, बागपत (उत्तर प्रदेश) गारंटर : श्री कायम पुत्र स्व. श्री अकबर, मुगल पुरा, वार्ड नं0 7 (नई बस्ती, नाला पार), बागपत (उत्तर प्रदेश)	सम्पत्ति का समस्त भाग जिसके अंतर्गत सम्पत्ति जो कि एक दो मंजिला बिल्डिंग है जिसका निर्माण प्लॉट जिसका क्षेत्रफल 70 वर्ग गज में है पर हुआ है तथा यह बिल्डिंग मण्डी बागपत की आबादी, नई बस्ती, निकट नाला (मौहल्ला मुगलपुरा, वार्ड नं0 7) बागपत, उत्तर प्रदेश में स्थित है। सम्पत्ति स्वामी श्री कायम अली पुत्र श्री अकबर अली हैं। विद इन द रजिस्ट्रेशन सब-डिस्ट्रिक्ट बागपत एण्ड डिस्ट्रिक्ट बागपत। सम्पत्ति की सीमायें :- उत्तर दिशा में रास्ता, दक्षिण दिशा में रास्ता, पूरब दिशा में वाहब का मकान, पश्चिम दिशा में अनवर अधती का मकान।	23.08.2018	15.05.2018	रु. 6,39,640.89 तथा ब्याज व अन्य खर्चे
कार्पोरेशन बैंक, बागपत शाखा, सेठ आशा राम जैन मार्केट, दिल्ली रोड, बागपत-250609 (उ.प्र.)	मैसर्स अमन श्रृंगार केन्द्र प्रोपराईटर श्री जब्बार खान निवासी आर्य समाज मंदिर वाली गली, पाण्डव रोड, बागपत (उ.प्र.) गारंटर : श्रीमती जरीफा पत्नी श्री सत्तार, मकान नम्बर 2746, पत्ती धनधान जगमलान, छपरौली, बागपत, उत्तर प्रदेश।	सम्पत्ति का समस्त भाग जिसके अंतर्गत सम्पत्ति एक मकान है जिसका क्षेत्रफल 76.64 वर्ग मीटर है तथा यह मकान मौहल्ला ईदगाह की आबादी, बागपत, उत्तर प्रदेश में स्थित है। सम्पत्ति स्वामिनी श्रीमती जरीफा पत्नी श्री अबदुल सत्तार हैं। विद इन द रजिस्ट्रेशन सब-डिस्ट्रिक्ट बागपत एण्ड डिस्ट्रिक्ट बागपत। सम्पत्ति की सीमायें :- उत्तर दिशा में गली, दक्षिण दिशा में यामीन का मकान, पूरब दिशा में गली, पश्चिम दिशा में तौसीफ का मकान।	23.08.2018	15.05.2018	रु. 5,38,244.00 तथा ब्याज व अन्य खर्चे

दिनांक : 28.08.2018 स्थान : बागपत प्राधिकृत अधिकारी

राजौरी में नाबालिग लड़के के अपहरण, उत्पीड़न के आरोप में तीन गिरफ्तार

जम्मू, 28 अगस्त (भाषा)।

जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले में एक लड़के का कथित तौर पर अपरहण करने और उसका उत्पीड़न करने के मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों को लड़के पर चोरी के एक मामले में लिप्त होने का संदेह था।

पुलिस ने मंगलवार बताया कि सोशल मीडिया पर लड़के को गैरकानूनी तरीके से बंधक बनाने और कथित तौर पर उसका उत्पीड़न करने का वीडियो चल रहा था, जो राजौरी के एसएसपी युगल मन्हास के संज्ञान में आया।

उन्होंने कहा, 'पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ नाबालिग लड़के को बंधक बनाने और उसका उत्पीड़न करने के आरोप में मामला दर्ज किया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन्हें थानामंडी के एक गांव से पकड़ा गया। उन्हें लड़के के चोरी के एक मामले में लिप्त होने का संदेह था।' मन्हास ने बताया, 'सोमवार हमें एक वीडियो प्राप्त हुआ था, जिसमें कुछ व्यक्ति एक नाबालिग बच्चे को रस्सी से बांधते और छत से लटकाते दिख रहे थे। वह उसे प्रताड़ित भी कर रहे थे।' इस बीच चुरूंग के रहने वाले जाहिद एच शाह ने नेथानामंडी थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी कि उनके 11 वर्षीय लड़के का तीन लोगों ने अपहरण कर लिया है और उन्होंने उसे बंधक बना लिया है।

विज्ञान, प्रौद्योगिकी सलाहकार परिषद के अध्यक्ष बने राघवन

नई दिल्ली, 28 अगस्त (भाषा)।

भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार डा. के विजय राघवन को मंगलवार को प्रधानमंत्री की विज्ञान, प्रौद्योगिकी व नवोन्मेष सलाहकार परिषद का अध्यक्ष बनाया गया ।

कैबिनेट सचिवालय के आदेश के तहत प्रधानमंत्री कार्यालय में सक्षम प्राधिकार ने प्रधानमंत्री विज्ञान, प्रौद्योगिकी व नवोन्मेष सलाहकार परिषद (पीएम एसटीआईएसी) के गठन को मंजूरी प्रदान कर दी। इसके तहत भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार डा. के विजय राघवन को पीएम एसटीआईएसी का अध्यक्ष बनाया गया।

तोगड़िया आज मंदिर निर्माण की तारीख का एलान करेंगे

गोण्डा 28 अगस्त (जनसत्ता)।

डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया बुधवार अयोध्या में राम मंदिर निर्माण शुरू करने की तारीख की घोषणा करेंगे। उन्होंने कहा कि राम मंदिर के नाम पर सत्ता हासिल करने वाले लोग अब संसद में बैठकर तीन तलाक पर कानून बना रहे हैं। कार्यकर्ता सम्मेलन में मंगलवार गोण्डा आए तोगड़िया एक होटल में पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे।

PTC India Limited

PTC India

CIN: L40105DL1999PLC099328

Registered Office: 2nd Floor, NBCC Tower, 15, Bhikaji Cama Place, New Delhi - 110066

Phone: 011-4159100, 41659500, 4648400, Fax: 011-41659144

Website: www.ptcindia.com, E-mail: info@ptcindia.com

NOTICE

NOTICE is hereby given that the 19th Annual General Meeting (19th AGM) of the Members of PTC India Ltd will be held on Thursday, 20th day of September 2018 at 12:30 P.M. at Dr. SRKVS Auditorium (Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Auditorium), Kendriya Vidyalaya No. 2, APS Colony, Gurgaon Road Delhi Cantt, New Delhi- 110010 to transact the businesses as set out in Notice of 19th AGM.

The copy of Annual Report for FY 2017-18 containing Balance Sheet, Profit and Loss Account, Directors' Report, Auditors' Report, full text of notice of 19th AGM which inter alia contains the process and manner of e-voting, Proxy form and attendance slip, etc. along with procedure for EVSN (Electronic Voting Sequence Number), User Id and Password is being e-mailed to all shareholders whose e-mail ids are available as a part of green initiative measures and for shareholders whose e-mail ids are not available, Physical copies of the same have been dispatched to them at their registered addresses by post. The Notice together with the Annual Report has been transmitted/ dispatched by August 25, 2018.

Pursuant to Section 91 of Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and other applicable provisions, if any and Regulation 42 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from August, 31, 2018 (Friday) to September 20, 2018 (Thursday) (both days inclusive) and the record date will be August, 30, 2018 (closing hours) for ascertaining the name of members entitled to the payment of dividend for the financial year 2017-18, if declared, at the forthcoming AGM.

The final dividend on equity shares, as recommended by the Board of Directors, subject to the provisions of Section 126 of the Companies Act, 2013, if declared by the Members at the 19th AGM, will be paid/ dispatched within 30 days from the date of 19th AGM to eligible Members.

Pursuant to the provisions of Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015 and Section 108 of the Companies Act, 2013, read with relevant Rules made thereunder as amended, the Company is pleased to provide to its Members the facility to exercise their right to vote by electronic means to be called as remote e-voting. The Company has entered in to an arrangement with M/s. National Securities Depository Limited (NSDL) for facilitating remote e-voting. The remote e- voting on the resolutions to be passed at the said AGM of the Company shall begin on September 17, 2018 at 09:00 A.M. and ends on September 19, 2018 at 05:00 P.M. During this period members of the Company holding shares either in physical form or Dematerialized form, as on the cut-off date of September 13, 2018, may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled for voting after 5:00 p.m. on September 19, 2018. At the end of the Remote e-voting period, the facility shall forthwith be blocked. Once the vote on a resolution is cast by the shareholder, the shareholder shall not be allowed to change it subsequently. The instructions for remote e-voting are given in the aforesaid Notice.

Any person who acquires shares of the Company and become member of the Company after dispatch of the 19th AGM notice and holding shares as on the cut-off date i.e. September 13, 2018 (closing hours), may obtain login ID and password by following the procedure as mentioned in the aforesaid Notice or by sending a request at evoting@nsdl.co.in.

The copy of Notice of 19th AGM, Annual Report etc. is also available and can be downloaded from the Company's website www.ptcindia.com and on the website of NDSL i.e. https://www.evoting.nsdl.com. Members, who do not receive the Notice and the Annual Report, may download the same as above or may request for a copy of the same to the Company.

For queries or grievance regarding remote e-voting, please refer to the Frequently Asked Questions ("FAQs") for members and e-voting user manual is available at the downloads section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800-222-990 under help section or write a mail to evoting@nsdl.co.in or write to Mr. Ajay Dalal, MCS Share Transfer Agent Ltd, F-65, First Floor, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi-110020, Ph: +91 11 41406149, E-mail: helpdeskdelhi@mcsregistrars.com or write to Mr. Rajiv Maheshwari, Company Secretary at registered office of the company (Contact No. 011-41595100) or send an email at cs@ptcindia.com.

The facility for voting through ballot paper shall be made available at the venue of 19th AGM and the members attending the meeting who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the meeting through ballot paper. The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again.

A person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting at 19th AGM through ballot paper. A person who is not a member as on cut-off date should treat this notice for information purpose only.

Mr. Ashish Kapoor (Membership No: F-8002), Practicing Company Secretary has been appointed as Scrutinizer to scrutinize the voting and remote e-voting process in a fair and transparent manner.

The resolutions, if passed by requisite majority shall be deemed to have been passed on the date of 19th AGM i.e. September 20, 2018.

By the order of the Board of Directors
For **PTC India Ltd.**

Sd/-
(Rajiv Maheshwari)
Company Secretary
F-4998

Place:-New Delhi
Date: - 28th August, 2018

2nd Floor, NBCC Tower,15, Bhikaji Cama Place, New Delhi-110066

This is a public announcement for information purposes only and is not a prospectus announcement and does not constitute an invitation or offer to acquire, purchase or subscribe to securities. Not for release, publication or distribution directly or indirectly outside India.

PUBLIC ANNOUNCEMENT

{xelp}

XELPMOC DESIGN AND TECH LIMITED

Xelpmoc Design and Tech Limited ("**Company**" or "**Issuer**") was incorporated as 'Xelpmoc Design and Tech Private Limited', a private limited company, under the Companies Act, 2013 on September 16, 2015 at Bengaluru, Karnataka, India, and the Certificate of Incorporation was issued by the Registrar of Companies, Karnataka at Bengaluru ("**RoC**"). Our Company was converted into a public limited company pursuant to a special resolution passed by our Shareholders on July 2, 2018 and the name of our Company was changed to 'Xelpmoc Design and Tech Limited'. Consequently, a fresh certificate of incorporation consequent upon change of name upon conversion into public company was issued by the RoC on July 20, 2018. For details of change in the name and Registered Office of our Company, see "*History and Certain Corporate Matters*" on page 122 of the Draft Red Herring Prospectus dated August 24, 2018 ("**DRHP**").

Registered Office: #17, 4th Floor, Agies Building, 1st 'A' Cross, 5th Block, Koramangala, Bengaluru – 560 034, Karnataka, India.
Contact Person: Vaishali Kondbhar, Company Secretary and Compliance Officer; **Telephone:** +91 80 4370 8360; **Fax:** Not available
E-mail: vaishali.kondbhar@xelpmoc.in; **Website:** www.xelpmoc.in; **Corporate Identity Number:** U72200KA2015PLC082873

OUR PROMOTERS: SANDIPAN CHATTOPADHYAY, SRINIVAS KOORA AND JAISON JOSE

INITIAL PUBLIC OFFERING OF [•] EQUITY SHARES OF FACE VALUE ₹ 10 EACH ("EQUITY SHARES") OF OUR COMPANY FOR CASH AT A PRICE OF ₹ [•] PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ [•] PER EQUITY SHARE) ("ISSUE PRICE"), AGGREGATING UP TO ₹ 230,000 THOUSAND ("ISSUE"). THE ISSUE SHALL CONSTITUTE UP TO [•]% OF THE POST-ISSUE PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.

THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES IS ₹ 10 EACH. THE ISSUE PRICE IS [•] TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES. THE PRICE BAND AND THE MINIMUM BID LOT SIZE WILL BE DETERMINED BY OUR COMPANY IN CONSULTATION WITH THE BOOK RUNNING LEAD MANAGER ("BRLM"), AND WILL BE ADVERTISED IN ALL EDITIONS OF ENGLISH NATIONAL NEWSPAPER [•], ALL EDITIONS OF HINDI NATIONAL NEWSPAPER [•], AND BENGALURU EDITIONS OF KANNADA NEWSPAPER [•] (KANNADA BEING THE REGIONAL LANGUAGE OF KARNATAKA WHERE OUR REGISTERED OFFICE IS LOCATED), EACH WITH WIDE CIRCULATION, AT LEAST FIVE WORKING DAYS PRIOR TO THE BID/ISSUE OPENING DATE IN ACCORDANCE WITH THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2009, AS AMENDED ("SEBI ICDR REGULATIONS") AND SUCH ADVERTISEMENT SHALL BE MADE AVAILABLE TO THE BSE LIMITED ("BSE") AND NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED ("NSE", AND TOGETHER WITH BSE, THE "STOCK EXCHANGES") FOR THE PURPOSES OF UPLOADING ON THEIR RESPECTIVE WEBSITES.

This public announcement is made in compliance with the provisions of Regulation 9(3) of the SEBI ICDR Regulations to inform the public that the Company is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, an initial public offering of Equity Shares pursuant to the Issue and has filed the DRHP with the SEBI on August 28, 2018 in relation to the Issue.

Pursuant to Regulation 9(1) of the ICDR Regulations, the DRHP filed with SEBI shall be made public for comments, if any, for a period of at least 21 days, from the date of filing of the DRHP, by hosting it on the websites of SEBI at www.sebi.gov.in, BSE at www.bseindia.com, NSE at www.nseindia.com and the website of the BRLM, i.e. ITI Capital Limited (formerly known as Inga Capital Limited) at www.iticapital.in. We invite the public to give comments on the DRHP filed with SEBI with respect to disclosures made in DRHP. The public is requested to send a copy of the comments sent to SEBI, if any, to the Company Secretary and Compliance Officer of the Company and the BRLM at their respective addresses mentioned herein. All comments must be received by our Company or the BRLM and/or the Company Secretary and Compliance Officer on or before 5 p.m. on the 21st day from the aforesaid date of filing the DRHP with SEBI. Comments by post, email and fax shall be accepted.

Investments in equity and equity-related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in the Issue unless they can afford to take the risk of losing their entire investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in the Issue. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of our Company and the Issue, including the risks involved. The Equity Shares in the Issue have not been recommended or approved by SEBI, nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the contents of the DRHP. Specific attention of the investors is invited to "*Risk Factors*" on page 16 of the DRHP.

Any decision whether to invest in the Equity Shares described in the DRHP may only be made after a Red Herring Prospectus for the same has been filed with the RoC and must be made solely on the basis of such Red Herring Prospectus. The Equity Shares, when offered, through the Red Herring Prospectus, are proposed to be listed on NSE and BSE.

For details of the share capital and capital structure of our Company, see "*Capital Structure*" on page 73 of the DRHP. The signatories to the Memorandum of Association are Sandipan Chattopadhyay, Srinivas Koora and Rajesh Dembla, who subscribed to 3334, 3333 and 3,333 Equity Shares of our Company respectively, of ₹ 10 each as initial subscription. The liability of the members of the Company is limited. For details of the main objects of the Company as contained in the Memorandum of Association, see "*History and Certain Corporate Matters*" on page 122 of the DRHP.

BOOK RUNNING LEAD MANAGER	REGISTRAR TO THE ISSUE
ITI CAPITAL LIMITED	KARVY Computershare
ITI Capital Limited (formerly known as Inga Capital Limited) Naman Midtown, 'A' Wing, 21st Floor, Senapati Bapat Marg, Elphinstone (West) Mumbai – 400 013, Maharashtra, India. **Tel:** +91 22 4031 3489; **Fax:** +91 22 4031 3379; **Email:** xelp.ipo@iticapital.in **Investor Grievance Email:** investorgrievance@iticapital.in **Website:** www.iticapital.in; **Contact Person:** Pallavi Shinde **SEBI Registration Number:** INM000010924* *Application made to SEBI for change of name	**Karvy Computershare Private Limited** Karvy Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli Financial District, Nanakramguda, Hyderabad – 500 032 Telangana, India. **Tel:** +91 40 6716 2222; **Fax:** +91 40 2343 1551 **Email:** einward.ris@karvy.com; **Investor grievance email:** xelpmoc.ipo@karvy.com **Website:** www.karisma.karvy.com **Contact Person:** M Murali Krishna **SEBI Registration No.:** INR000000221

All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the DRHP.

For **XELPMOC DESIGN AND TECH LIMITED**
On behalf of the Board of Directors
Sd/-
Company Secretary and Compliance Officer

Place : Bengaluru
Date : August 28, 2018

XELPMOC DESIGN AND TECH LIMITED is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations to make an initial public offering of its Equity Shares and has filed the DRHP with SEBI on August 28, 2018. The DRHP will be available on the websites of SEBI at www.sebi.gov.in, BSE Limited at www.bseindia.com, National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and the website of the BRLM at www.iticapital.in. Any Potential investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to the same, please see the section entitled "*Risk Factors*" on page 16 of the DRHP. Potential investors should not rely on the DRHP filed with SEBI for any investment decision.

The Equity Shares have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "**Securities Act**"), or any state securities laws in the United States and may not be offered or sold within the United States or to, or for the account or benefit of, U.S. Persons (as defined in Regulation S under the Securities Act) except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and applicable state securities laws in the United States. Accordingly, the Equity Shares are only being offered and sold (i) to persons in the United States or to, or for the account or benefit of, U.S. Persons, in each case that are both "qualified institutional buyers" (as defined in Rule 144A under the Securities Act), and "qualified purchasers" (as defined under the U.S. Investment Company Act of 1940, as amended (the "Investment Company Act")) in transactions exempt from or not subject to the registration requirements of the Securities Act, and in reliance upon section 3(c)(7) of the Investment Company Act; or (ii) outside the United States to investors that are not U.S. Persons nor persons acquiring for the account or benefit of U.S. Persons in offshore transactions in reliance on Regulation S under the Securities Act and the applicable laws of the jurisdiction where those offers and sales occur.

CONCEPT